**आदेश 39 नियम 1, तथा 2. एवम् धारा 151 सि. प्र. सं.**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

श्रीमान जी,

वादी सादर निम्नलिखित रूप में निवेदन करता है

1. यह कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध कब्जा हेतु ऊपर नोट किए गये वाद दाखिल कर चुका है। वाद की अन्तर्वस्तुएं इस वाद के भाग्य के रूप में पढ़ा जा सकेगा।
2. यह कि प्रतिवादी ने तारीख................ को विवादास्पद परिसरों का निरीक्षण करने हेतु व्यक्तियों को अनुज्ञात किया है और इन सभी व्यक्तियों की जांच पर जिन्होंने वादी को अपनी परिचय प्रकट नहीं किया उसने यह प्रेरित किया कि प्रतिवादी उच्चतम किराये पर परिसरों को दिया जाने के लिए
3. यह कि वादी विवादास्पद परिसरों में किरायेदार था और विवादास्पद परिसर पर प्रतिवादी का कब्जा अवैधानिक और अनधिकृत है और ऐसे रूप में प्रतिवादी के पास किसी भी दूसरे व्यक्ति उसको ही देने या विवादास्पद परिसर के कब्जे भागीदार होने का कोई भी अधिकार नहीं है।
4. यह कि वादी के पास एक अच्छा प्रथम दृष्ट्या मामला है और वादी सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित है।
5. यह कि सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है कि यह कि यथास्थिति वाद के लम्बित रहने के दौरान पोषण किये जाने के लिए आदेशित किया जाता है।
6. यह कि वादी उस दशा में अपूर्णनीय हानि एवम् क्षति से पीड़ित होगा मामले में प्रतिवादी उसकी अवैधानिक डिजाइन में सफल होता है।
7. यह कि इन सभी परिस्थितियों में, अतएव, यह प्रार्थना की जाती है कि एक पक्षीय अंतरिम व्यादेश वाद के निपटारे तक संपत्ति सं.......... के भाग की विरचना करने वाले वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये में नीले रंग से प्रदर्शित किये गये विवादास्पद का कब्जा देने से या उसमें भाग लेने से प्रतिवादी को रोकने वाली या अवरुद्ध करने वाला वादी के पक्ष में मंजूर की जा सकेगी।

**वादी**